

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : अरुण शर्मा

बनाम

प्रतिवादी : बसंतप्रभा

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या : 52/19

दिनांक: 21.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण बहस हेतु नियत है। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद (प्रकरण संख्या 100/19) विद्धो होने से हस्तगत प्रकरण में भी अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा-उदयपुर

